



निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
Directorate General of Performance Management
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Indirect Taxes & Customs
ड्रम शेप बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
Drum Shape Building, I.P Estate, New Delhi-110002

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त केंद्रीय माल और सेवा कर के अधीन
अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचिन, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर,
कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, नागपुर, पंचकुला, पुणे, रांची, शिलांग, वड़ोदरा एवं विशाखापट्टणम
जोन।

महोदया/महोदय,

**विषय- वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षण
के लिए वार्षिक कार्य योजना से संबंधित।**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त/क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों द्वारा केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के निरीक्षण के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है और डीजी (डीजीपीएम) द्वारा अनुमोदित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त संलग्न कार्य योजना के अनुसार अपने स्वयं के निरीक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं और इसे डीजीपीएम, नई दिल्ली को अग्रेषित कर सकते हैं।

2. बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, सभी आयुक्तालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया है कि निरीक्षण हेतु अनुसूचित आयुक्तालयों का निरीक्षण नहीं किया जाता है। अतः फिर से इस बात पर जोर दिया जाता है कि आवंटित आयुक्तालयों का विस्तृत और व्यापक निरीक्षण किया जाए।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि, आवंटित आयुक्तालयों का निरीक्षण करते समय, प्रमुख पहचान किए गए और अन्य क्षेत्रों जैसे राजस्व की बकाया, लंबित न्यायनिर्णयन, कॉल बुक मामले, अनंतिम मूल्यांकन, लंबित अभियोजन मामले, धनवापसी, बांड, लंबित जांच, में विस्तृत परीक्षण/जांच की जा सकती है। सीईआरए, राजभाषा आदि। इसके अलावा, आवंटित आयुक्तालयों का विस्तृत और व्यापक निरीक्षण किया जाए और 'निरीक्षण रिपोर्ट' जारी की जाए और उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए। निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय आयुक्तालयों की ग्रेडिंग इस कार्यालय के पत्र फा.सं.- 56/1/08/2018 दिनांक 21.08.2018 के अनुसरण में की जानी चाहिए। आयुक्तालयों द्वारा 'अनुपालन

रिपोर्ट' ससमय भेजने के लिए निरीक्षणोपरांत निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई दृढतापूर्वक की जाए ताकि गैर-अनुरूपताओं/कमियों को समय रहते दूर किया जा सके।

भवदीय

संलग्न - यथोपरि

(संदीप श्रीवास्तव)
प्रधान अपर महानिदेशक

वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जोनल प्रधान मुख्य आयुक्त/जोनल मुख्य आयुक्त के निरीक्षण के लिए वार्षिक कार्य योजना

जोन	क्र.सं.	जीएसटी आयुक्तालय
1. अहमदाबाद	1	राजकोट
	2	कच्छ (गांधीधाम)
2. बेंगलुरु	3	बेंगलुरु-ईस्ट
	4	मैसुरु
3. भोपाल	5	भोपाल
	6	इंदौर
	7	जबलपुर
	8	रायपुर
4. भुवनेश्वर	9	भुवनेश्वर
5. चंडीगढ़	10	लुधियाना
	11	जालंधर
6. चेन्नई	12	चेन्नई-आउटर
	13	कोयंबटूर
	14	सेलम
7. दिल्ली	15	बेंगलुरु-ईस्ट
	16	दिल्ली-साउथ
8. शिलांग	17	डिब्रुगढ़
9. हैदराबाद	18	गुवाहाटी
	19	शिलांग
	20	सिकंदराबाद
10. जयपुर	21	जयपुर
	22	जोधपुर
	23	अलवर
11. कोलकाता	24	बोलपुर
	25	हल्दिया
	26	कोलकाता-नार्थ
	27	कोलकाता-साउथ
	28	हावड़ा
	29	सिलीगुड़ी
12. लखनऊ	30	इलाहाबाद
	31	कानपुर

	32	लखनऊ
13. मेरठ	33	गाजियाबाद
	34	मेरठ
	35	नोएडा
	36	देहरादून
	37	मुंबई-ईस्ट
14. मुंबई	38	मुंबई-वेस्ट
	39	मुंबई-सेंट्रल
	40	मुंबई-साउथ
	41	बेलापुर
	42	भिवंडी
	43	ठाणे
	44	पालघर
	45	नवी मुंबई
15. नागपुर	46	औरंगाबाद
	47	नागपुर-।
	48	नागपुर-॥
	49	नासिक
16. पंचकुला	50	गुरुग्राम
	51	फरीदाबाद
	52	पंचकुला
	53	रोहतक
17. पुणे	54	कोल्हापुर
	55	पुणे-।
	56	पुणे-॥
	57	गोवा
18. रांची	58	जमशेदपुर
	59	पटना-।
	60	पटना-॥
	61	रांची
19. तिरुवनंतपुरम	62	कोझिकोड (कालीकट)
20. वडोदरा	63	दमन
	64	सूरत
	65	वडोदरा-॥
21. विशाखापट्टणम	66	गुंटूर